ऑन लाईन नं. **RCMS 2021/242**

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 28 / 2021

1. लालचन्द पुत्र श्री रामजस जाति सुथार बिश्नोई निवासी पुरानी आबादी, वार्ड नम्बर 10, स्कूल नम्बर 09 के पास, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र श्री भादरराम जाति सुथार बिश्नोई, निवासी चक 1 एम.एल. कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच, ग्राम चक महाराजका, पंचायत समिति सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :

1. श्री प्रदीप सिहाग़, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता 01

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत, चक महाराजका दिनांकित 20.01.2007, जिसके द्वारा विधिविरूद्व रूप से खाली भूखण्ड का, आपसी बातचीत द्वारा व्यक्तिगत तौर पर बिना विशिष्ट कारण दर्शित किये, प्रश्नगत भूखण्ड का बिना प्रचलित दर के मूल्य का निर्धारण किये, पुराने कब्जे के आधार पर बिना अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे के सम्बन्ध में जांच किये , नियमन के आधार पर पट्टा कमांक संख्या 43 गैर–निगरानीकर्ता के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त करने हेतु

::आदेश:: **दिनाकः–15.03.2023**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :– ''

1. यह कि अप्रार्थी संख्या 2 सरंपच , ग्राम पंचायत चक महाराजका, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा खाली भूखण्ड साईज 50X80 फुट का आपसी बातचीत द्वारा, व्यक्तिगत तौर पर बिना विशिष्ट कारण दर्शित किये, प्रश्नगत भूखण्ड का बिना प्रचलित दर के मूल्य का निर्धारण किये, पुराने कब्जे के आधार पर बिना अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे एवं गृह निर्मित होने के सम्बन्ध में जांच किये, नियमन के आधर पर आवंटन आदेश दिनांक 20.01.2007 द्वारा पट्टा कमांक संख्या 43 को, अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया, सर्वथा विधिविरूद्व है। उक्त पट्टा सरपंच, ग्राम पंचायत चक महाराजका द्वारा नियम विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अप्रार्थी संख्या 2 सरपंच, ग्राम पंचायत चक महाराजका द्वारा निगरानी दर्ज प्रश्नगत पट्टा का आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत जाकर नियम विरूद्व रूप से खाली भूखण्ड साईज 50X80 फुट पूर्व मुखी , का व्यक्तिगत तौर पर बिना विशिष्ट कारण दर्शित किये, प्रश्नगत भूखण्ड का बिना प्रचलित दर के मूल्य का निर्धारण किये, केवल 200 रूपये में विक्रय कर, पुराने कब्जे के आधार पर नियमन कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा कमांक संख्या 43 दिनांक 20.01.2007 को भूखण्ड संख्या 21 के रूप में जारी कर दिया गया। उक्त खाली भूखण्ड प्रार्थी / निगरानीकर्ता के पिता स्व0 रामजस की पैत्रिक सम्पति थी जिस को घरेलू विभाजन में प्रार्थी तथा प्रार्थी के दो अन्य भाई

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

भारदराम व ताराचन्द को प्रदान कर कब्जा सौंप दिया गया था परन्तु प्रार्थी के भाई भादरराम द्वारा अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 से गलत तथ्य प्रस्तुत करवा, तत्कालीन सरपंच से सांठ–गांठ कर उक्त भूखण्ड का पट्टा अपने पुत्र विजय सिंह के नाम विधिविरूद्व रूप से , समस्त भूखण्ड पर अपने पुत्र का कब्जा दर्शाकर , जारी करवा लिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 43 जारी किये जाने के सम्बन्ध में विधिविरूद्व रूप से उसे व्यक्तिगत लाभ प्रदान करने हेतु की गई है चूकि ग्राम पंचायत द्वारा की गई समस्त कार्यवाही भूखण्ड संख्या 21 के व्यक्तिगत तौर पर बिना विशिष्ट कारण दर्शित किये, प्रश्नगत भूखण्ड का बिना प्रचलित दर के मूल्य का निर्धारण किये, पुराने कब्जे के आधार पर, बिना अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे एवं मकान निर्मित होने के सम्बन्ध में जांच किये, नियमन के आधारपर आवंटन कार्यवाही की गई है अर्थात उक्त प्रश्नगत भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा व्यक्तिगत आपसी बातचीत द्वारा नीलामी में खाली भूखण्ड साईज 50X80 पूर्व मुखी को केवल मात्र 200 रूपये अधिकतम बोली पर, प्रचलित दर से कम पर, क्रय करने के आधार पर पट्टा संख्या 43 दिनांक 20.01.2007 को अप्रार्थी संख्या 2 से जारी करवा लिया गया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 प्रश्नगत भूखण्ड पर अपना काफी वर्षो से पुराना कब्जा दिखाते हुए भूखण्ड का पुराने कब्जे के आधार पर 200/– रूपये जमा करवा नियमन करवा रहा है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में व्यक्तिगत नीलामी एवं नियमन करने सम्बन्धी दोनों प्रक्रियाएं एक साथ की गई है जो विधिविरूद्व होने के कारण उक्त निगरानीकर्त आदेश के द्वारा पट्टा संख्या 43 भूखण्ड संख्या 21 के रूप में जारी किया गया को निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर अपना 26 वर्षो से पुराना कब्जा दर्शा कर उक्त अहाता के सम्बन्ध में पट्टा जारी किये जाने के लिए ग्राम पंचायत , चक महाराजका के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त अहाता का नियमन के रूप में पट्टा अपने पक्ष में विधिविरूद्व रूप से जारी करवा लिया गया जबकि अप्रार्थी का जन्म लगभग सन 1971 में हुआ है जिस कारण प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा जारी किये जाने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते समय अप्रार्थी की आयु 35 वर्ष बनती है जिस कारण प्रश्नगत भूखण्ड पर 26 वर्ष पूर्व कब्जा अप्रार्थी का होना अपने आप में ही असत्य साबित होता है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे के अन्तराल के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई न ही भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 के गृह निर्मित होने सम्बन्धी कोई तथ्य जांच कर प्रस्तुत किये गये बल्कि जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं नक्शे में प्रश्नगत भूखण्ड खाली दर्शाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मिथ्य कथनों के आधार पर मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत कर खाली भूखण्ड पर अपना मकान निर्मित दर्शाकर नियमन करवा लिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड को आपसी बातचीत द्वारा बिना कोई ऐसा विशेष कारण दर्शित किये सीधे ही पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रचलित दर से कम पर जो की केवल 200/–रूपये में विकय कर जारी कर दिया गया जो विधिविरूद्व आदेश होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि विधिनुसार नियमन की कार्यवाही किसी ग्राम पंचायत द्वारा केवल तभी की जा सकती है जब किसी भूखण्ड पर किसी व्यक्ति का पुराना गृह निर्मित हो अर्थात केवल पुराने गृहों पर कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त गृह का नियमन के तहत पट्टा जारी किया जा सकता है न की खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के साथ मिलीभगत कर खाली भूखण्ड , जिस में प्रार्थी का हित भी निहित था, का पट्टा ग्राम पंचायत, चक महाराजका से गलत तथ्य प्रस्तुत कर जारी करवा लिया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त प्रश्नगत भूखण्ड कभी कोई मकान निर्मित नहीं रहा तथा न ही अकेले का कभी एकल कब्जा रहा। प्रश्नगत भूखण्ड आज भी खाली पड़ा है जिस पर कोई मकान आज दिनांक तक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

भी निर्मित नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा भी कब्जे के अंतराल के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई तथा न ही अप्रार्थी संख्या 1 के प्रश्नगत भूखण्ड पर मकान निर्मित होने सम्बन्धी तथ्य की कोई जांच की गई जिसके सन्दर्भ में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किय गया था। इस प्रकार ग्राम पचांयत, चक महाराजका द्वारा जारी किया गया आदेश व पट्टा दिनांक 20.01.2007 विधिविरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को प्रश्नगत भूखण्ड जिसे प्रार्थी को विभाजन में अपने पिता से 1/3 हिस्से के रूप में प्रदान कर कब्जा सौंप दिया गया था, का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 से सांठ–गांठ कर अपने पक्ष में मिथ्या तथ्यों के आधार पर जारी करवा लिया गया है जिस का अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 उक्त अहाता को आगे खुर्द–बुर्द करने का भरसक प्रयास कर रहा है। यही कारण निगरानी प्रस्तुत करने का निगरानीकर्ता को प्राप्त है।

6. यह कि निगरानीकर्ता का प्रश्नगत् अहाता पर कब्जा अपने अन्य दो भाईयों क्रमशः भादरराम व ताराचंद के साथ विगत कई वर्षो से चला आ रहा था जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधिविरूद्व रूप से अपने पक्ष में जारी करवा लिया गया है इस प्रकार प्रार्थी प्रश्नगत् भूखण्ड से हितबद्व पक्षकार है जो वर्तमान निगरानी प्रस्तुत करने में सक्षम है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मिथ्य कथनों के आधार पर अप्रार्थी सख्या 2 से मिलीभगत कर खाली भूखण्ड का पट्टा अपने पक्ष में पुराना गृह निर्मित दर्शा कर जारी करवा लिया गया जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है।

7. यह कि प्रार्थी को प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्व रूप से पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 2019 के माह अगस्त में हुई जब प्रार्थी द्वारा उक्त अहाता के सम्बन्ध में पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत, चक महाराजका के सचिव से सम्पर्क किया गया तो तत्कालीन सचिव द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 20.01.2007 को जारी किये जाने का उल्लेख किया गया जिस पर प्रार्थी द्वारा सर्वप्रथम उक्त पट्टा दिनांक 20.01.2007 की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत से प्राप्त की गई। इसके पश्चत प्रार्थी द्वारा विधि का ज्ञान न होने के कारण उक्त पट्टे को निरस्त करवाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पिता के इसी चक में दो अन्य भूखण्डों , जिनमें प्रार्थी का हिस्सा भी बनता है, के पट्टे प्रार्थी को बिना सुने प्रार्थी के परिवार के किसी अन्य सदस्य को आवंटित न किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र सरपंच , चक महाराजका के समक्ष प्रस्तुत किया गया जब प्रार्थी के द्वारा पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तो प्रार्थी द्वारा विधिक कार्यवाही हेतु वर्ष 2020 में अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया जिनके द्वारा उक्त विधिविरूद्व पट्टा को विधिनुसार सक्षम न्यायालय में चुनौती देने की हिदायत दी गई मगर उस दौरान कोविड–19 महामारी के फैलाव को रोकने के कारण सम्पूर्ण भारत वर्ष में लॉकडाउन लग जाने एवं प्रार्थी स्वयं इस बिमारी से ग्रस्त हो जाने के कारण उक्त विधिविरूद्व आदेश के विरूद्व कोई प्रीाावी विधिक कार्यवाही हेतु अपने अधिवक्ता सेस सम्पर्क नहीं कर पाया तथा अब प्रार्थी बिना किसी देरी के उक्त निगरानीधीन आदेश को जरिये निगरानी चुनौती दे रहा है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैर–निगरानीकर्ता 2 द्वारा दिनांक 20.01.2007 को खाली भूखण्ड का आपसी बातचीत द्वारा, व्यक्तिगत नीलामी कर प्रश्नगत भूखण्ड का बिना प्रचलित दर के मूल्य का निर्धारण किये तथा बिना अप्रार्थी संख्या 1 के पुराने कब्जे के सम्बन्ध में निर्मित मकान के होने सम्बन्धी तथ्य की जांच किये, प्रश्नगत भूखण्ड का नियमन के आधार पर आवंटन आदेश दिनांक 20.01.2007 द्वारा पट्टा क्रमांक सख्या 43 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया को निरस्त फरमाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी संख्या 2 सरंपच , ग्राम पंचायत चक महाराजका, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा खाली भूखण्ड साईज 50X80 फुट का आपसी बातचीत द्वारा, व्यक्तिगत तौर पर बिना विशिष्ट कारण दर्शित किये, प्रश्नगत भूखण्ड का बिना प्रचलित दर के मूल्य का निर्धारण किये, पुराने कब्जे के आधार पर बिना अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे एवं गृह निर्मित होने के सम्बन्ध में जांच किये, नियमन के आधर पर आवंटन आदेश दिनांक 20.01.2007 द्वारा पट्टा क्रमांक संख्या 43 को, अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया, सर्वथा विधिविरूद्व है।अप्रार्थी संख्या 2 सरपंच, ग्राम पंचायत चक महाराजका द्वारा निगरानी दर्ज प्रश्नगत पट्टा का आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत जाकर नियम विरूद्व रूप से खाली भूखण्ड साईज 50X80 फुट पूर्व मुखी , का व्यक्तिगत तौर पर बिना विशिष्ट कारण दर्शित किये, प्रश्नगत भूखण्ड का बिना प्रचलित दर के मूल्य का निर्धारण किये, केवल 200 रूपये में विक्रय कर, पुराने कब्जे के आधार पर नियमन कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा क्रमांक संख्या 43 दिनांक 20.01.2007 को भूखण्ड संख्या 21 के रूप में जारी कर दिया गया। उक्त खाली भूखण्ड प्रार्थी/निगरानीकर्ता के पिता स्व0 रामजस की पैत्रिक सम्पति थी जिस को घरेलू विभाजन में प्रार्थी तथा प्रार्थी के दो अन्य भाई भारदराम व ताराचन्द को प्रदान कर कब्जा सौंप दिया गया था परन्तु प्रार्थी के भाई भादरराम द्वारा अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 से गलत तथ्य प्रस्तुत करवा, तत्कालीन सरपंच से सांठ–गांठ कर उक्त भूखण्ड का पट्टा अपने पुत्र विजय सिंह के नाम विधिविरूद्व रूप से , समस्त भूखण्ड पर अपने पुत्र का कब्जा दर्शाकर , जारी करवा लिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 43 जारी किये जाने के सम्बन्ध में विधिविरूद्व रूप से उसे व्यक्तिगत लाभ प्रदान करने हेतु की गई है चूकि ग्राम पंचायत द्वारा की गई समस्त कार्यवाही भूखण्ड संख्या 21 के व्यक्तिगत तौर पर बिना विशिष्ट कारण दर्शित किये, प्रश्नगत भूखण्ड का बिना प्रचलित दर के मूल्य का निर्धारण किये, पुराने कब्जे के आधार पर, बिना अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे एवं मकान निर्मित होने के सम्बन्ध में जांच किये, नियमन के आधारपर आवंटन कार्यवाही की गई है अर्थात उक्त प्रश्नगत भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा व्यक्तिगत आपसी बातचीत द्वारा नीलामी में खाली भूखण्ड साईज 50X80 पूर्व मुखी को केवल मात्र 200 रूपये अधिकतम बोली पर, प्रचलित दर से कम पर, क्रय करने के आधार पर पट्टा संख्या 43 दिनांक 20.01.2007 को अप्रार्थी संख्या 2 से जारी करवा लिया गया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 प्रश्नगत भूखण्ड पर अपना काफी वर्षो से पुराना कब्जा दिखाते हुए भूखण्ड का पुराने कब्जे के आधार पर 200/– रूपये जमा करवा नियमन करवा रहा है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में व्यक्तिगत नीलामी एवं नियमन करने सम्बन्धी दोनों प्रक्रियाएं एक साथ की गई है जो विधिविरूद्व होने के कारण उक्त निगरानीकर्त आदेश के द्वारा पट्टा संख्या 43 भूखण्ड संख्या 21 के रूप में जारी किया गया को निरस्त किये जाने योग्य है।अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को प्रश्नगत भूखण्ड जिसे प्रार्थी को विभाजन में अपने पिता से 1/3 हिस्से के रूप में प्रदान कर कब्जा सौंप दिया गया था, का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 से सांठ–गांठ कर अपने पक्ष में मिथ्या तथ्यों के आधार पर जारी करवा लिया गया है जिस का अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 उक्त अहाता को आगे खुर्द–बुर्द करने का भरसक प्रयास कर रहा है।निगरानीकर्ता का प्रश्नगत् अहाता पर कब्जा अपने अन्य दो भाईयों क्रमशः भादरराम व ताराचंद के साथ विगत कई वर्षो से चला आ रहा था जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधिविरूद्व रूप से अपने पक्ष में जारी करवा लिया गया है इस प्रकार प्रार्थी प्रश्नगत् भूखण्ड से हितबद्व पक्षकार है जो वर्तमान निगरानी प्रस्तुत करने में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

सक्षम है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मिथ्य कथनों के आधार पर अप्रार्थी सख्या 2 से मिलीभगत कर खाली भूखण्ड का पट्टा अपने पक्ष में पुराना गृह निर्मित दर्शा कर जारी करवा लिया गया जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है। जहां तक विवादित पट्टा उप पंजीयक श्रीगंगानगर से रजि0 करवाया हुआ होना बताया है के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकारी श्रीमान न्यायालय को है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश दिनांक 20.01.2007 द्वारा पट्टा कमांक सख्या 43 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा निम्न नजीरे पेश की है :–

1. **नजीर संख्या –01**

Ghewar Chand & Anr. VS State of Rajasthan & Ors. S.B. Civil Writ Petition N0. 8887/2017 ''पट्टा का रजिस्ट्रेशन सुरक्षा कवच नहीं माना जा सकता– पट्टा निरस्त करने हेतु पट्टा का रजिस्ट्रेशन आधार नहीं होगा।''

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सरंपच , ग्राम पंचायत चक महाराजका, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा भूखण्ड साईज 50X80 पुराने कब्जे के आधार पर मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 के कब्जे एवं गृह निर्मित होने की जांच कर नियमन के आधर पर आवंटन आदेश दिनांक 20.01.2007 द्वारा पट्टा कमांक संख्या 43 जारी किया गया। उक्त पट्टा सरपंच, ग्राम पंचायत चक महाराजका द्वारा नियमो की पूर्ण पालना कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की पालना कर राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के प्रावधानों की पालना कर जारी किया गया। उक्त विवादित पट्टा उप पंजीयक श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 02.03.2007 को रजि0 किया जा चुका है। रजि. पट्टा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नहीं है। रजि0 पट्टा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः निगरानीकर्ता की खारिज फरमाई जावें।

1. न्यायिक दृष्टान्त 2021 (1) डी.एन.जे. (राज0) 186

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किया। कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के निगरानीधीन पट्टो का ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आलोक में अध्ययन किया। सर्वप्रथम निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत हस्तगस निगरानी में आक्षेपित पट्टा सरंपच , ग्राम पंचायत चक महाराजका, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा खाली भूखण्ड साईज 50X80 फुट का नियमन के आधार पर पट्टा कमांक 43 आवंटन आदेश दिनांक 20.01.2007 को भूखण्ड सख्या 21 के रूप में जारी किया गया है जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 909,पृष्ट संख्या 153 क.स. 2007001216 किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता का कथन कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा 20.01.2007 का रजि0 हो चुका है इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2021 (1) डी.एन.जे. (राज0) 186 गोपाल पटेल बनाम स्टेट ऑफ राज0 वगैरा में पारित निर्णय के अनुसार रजि0 पट्टा को निरस्त करने एवं सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर सीविल न्यायालय को है यह कथन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टात मिथू सहानी के निर्णय के अनुसार स्वीकार करने योग्य नहीं है। माननीय राज0 उच्चतम न्यायालय जोधुपर के एस.बी. सिविल रिट पेटीशन नम्बर 1887/2017 घेवरचन्द वगैरा बनाम स्टेट ऑफ राज0 एवं जिला कलक्टर बाडमेर आदि में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2017 के पैरा (12 ऑफ 13) पर निम्नप्रकार से है:–

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

It appears that the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in Mithoo Sahani's case (supra) has not been brought into the notice of the Division Bench of this Couart while deciding t he D.B.Civil Special Apeal (W) No.1958/2011, Manohar Lal Vs. District Collector, Barmer & Ors.

This Court in Nagaar Mal Vs. AddI. District Collector, Sikar & Ors. (supra) has rightly held that registration of a patta is only a consequential event and when the pattas are found to have been issued contrary to the obtaining rules, the mere registration athere of cannot be treated as a safe harbor. The cancellation of said patta by the competent authority will also thus entail would follow consequences in law rendering the registration thereof ineffective and inconsequential.

In view of the above discussions, I do not find any illegaliaty in the impugned order passed by the district Collector, Barmer. Hence, there is no force in this writ petition and the same is hereby dismissed in limine.

अतःमाननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मिथू सहानी के निर्णय के अनुसार अगर काई पट्टा नियमों के विरूद्व जारी किया गया है अगर वह रजि0 भी हो तो भी निरस्त किया जा सकता है। रजिस्ट्रेसन किसी प्रकार से अवैध पट्टा को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा अगर समीक्षा से उक्त विवादित पट्टा विधिविरूद्व गलत तथ्यों के आधार जारी होना पाया जावेगा तो वह निरस्त किया जा सकता है।

जहां तक रेस्पोडेन्ट को जारी पट्टा विधिसम्मत् है अथवा नहीं इस सन्द्वर्भ में राज0 पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 का अवलोकन करना आवश्यक होगा।

उक्त नियम 157 निम्नप्रकार से है :–

157. पुराने गृहों का विनियमितिकरण :–जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों वहां निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात पंचायत पट्टाजारी किया जा सकेगा।

(क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु। 100/–रूपये

(ख) इन नियमों के लागू होने की तिथि से 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/–रूपये

उक्त नियम के अवलोकन से स्पष्ट है कि केवल ऐसे मकान जो 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100/–रूपये जमा करवाने पर नियमित किया जा सकता है एवंम इन नियमों के लागू होने की तिथि से 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतू 200/–रूपये जमा करवाने पर नियमित किया जा सकता है।

निगरानीकर्ता ने निगरानी के पैरा संख्या 04 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड आज भी खाली पड़ा है जिस पर आज दिनांक तक कोई मकान निर्मित नही है साथ ही निगरानीकर्ता द्वारा उक्ता विवादित भूखण्ड की फोटो प्रस्तुत की है जिसमें उक्त विवादित भूखण्ड को खाली दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत की कमेटी की रिपोर्ट में कही भी उक्त मकान में निर्माण होना अंकित नहीं किया गया है।

" गैरनिगरानीकर्ता विजयसिंह द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में अपना चाचा ताराचन्द को दिनांक 17.07.2014 को उपहार पत्र (गिफट डीड) के द्वारा दिया गया है में पेज नम्बर –02 में पंकित कमांक 10 में अंकित किया है कि मुझ मिकर का अपने चाचा ताराचन्द के साथ काफी स्नेह प्यार है इसलिए मुझ मिकर ने अपने पूर्ण होश हवास बिना किसी प्रकार का जबरदबाव के वाके चक 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0 की आबादी भूमि में अहाता 50x80 फुट पूर्व दिशा में खुलता हुआ सफेद जैसा भी मौके पर है का उपहार बिना किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त किये अपने हकीकी चाचा ताराचन्द पुत्र श्री रामजस जाति सुथार बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 10 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर राज0 को उपहार स्वरूप दे दिया है।"

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

इस प्रकार उक्त गिफट डीड एवं ग्राम पंचायत की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के पैरा संख्या 4 में अंकित किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड में कोई निर्माण नहीं हुआ है सही है। पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के अनुसार निर्मित मकानों को ही नियमित किया जा सकता है जबकि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो की ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड को नियमित करते समय उक्त भूखण्ड पर कोई आवासीय मकान निर्मित हो, और ऐसा ना ही कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकन किया गया है जिससे स्पष्ट है कि भूखण्ड साईज 50X80 फुट का नियमन के आधार पर पट्टा कमांक 43 आवंटन आदेश दिनांक 20.01.2007 निरस्त करने योग्य है।

चूंकि जैसा उपर विवेचन किया गया है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 के कब्जे के उक्त भूखण्ड में कोई मकान निर्मित नहीं था । इस तथ्यों को छुपाकर अवैध रूप से पट्टा कमांक 43 जारी करवाया गया है जिसका पंजीयन भी करवाया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायलाय के न्यायिक दृष्टात मिथू सहानी के निर्णय के अनुसार गलत तथ्यों के आधार पर जारी करवाये गये पट्टे के रजि0 का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अतः उक्त पट्टा कमांक 43 आवंटन आदेश दिनांक 20.01.2007 को भूखण्ड सख्या 21 के रूप में जारी है जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 909,पृष्ट संख्या 153 क.स. 2007001216 किया गया है को निरस्त किया जाता है। निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 15.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. हरीतिमा)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन)श्री गंगानगर